

कार्यालय नगर निगम, जयपुर हैरिटेज

(जलेबी चौक, हवामहल के पीछें, बडी चौपड-302002)



क्रमांक:-

एफ-20()/अधी.अभि / उपायुक्त.(वि.) हैरि. / ननिज / 21 /297

दिनांक:-५/१/21

कार्यालय आदेश

विषय:— नगर निगम जयपुर हैरिटेज में BSR Rates से कम दर डालने पर अन्तर राशि जमा कराने बाबत।

नगर निगम जयपुर हैरिटेज में आमंत्रित की जाने वाली विद्युत सम्बन्धित कार्यों की निविदाओं के सम्बन्ध में यह आदेश जारी किये जाते है कि नगर निगम जयपुर हैरिटेज, में Prevalent BSRs या जिस भी BSR पर निविदाएं आमंत्रित की गयी है उस में जी-शिड्यूल पर BSR Rate से कम दर डालने वाले संवेदकों से अन्तर राशि (at Par की दर से जितनी कम है) "Work Performance Guarantee" के रूप में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ली जावेगी तथा इसे कार्य के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात् वापस लौटा दी जावेगी। न्यूनतम दर वालें बोलीदाता की बोली स्वीकृत कर Letter of Acceptance जारी किया जावेगा एवं BSR दर से कम दर की अन्तर राशि की BG/FDR/NSC प्रस्तुत करने हेतु 14 दिवस का समय दिया जायेगा तथा जमा नहीं कराने पर BID Security की राशि नियमानुसार जब्त होगी। यदि संवेदक "Work Performance Guarantee" जमा कराने के पश्चात् कार्य संतोषजनक रूप से पूर्ण नहीं करता है तो उसकी "Work Performance Guarantee" की राशि नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा जब्त कर ली जायेगी व अनुबन्ध के तहत अन्य कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी।

The Following condition be made part of the tender document:-

"If any bidder quotes a rate below than the Schedule-"G" rates, i.e. rates below than "at par", then the bidder has to deposit the difference amount i.e.difference amount of the rates as per "at par" and quoted "below", as "work performance guarantee". This amount has to be deposited before the commencement of work and will be refunded after successful completion of work. Lowest bidder will be issued LOA (Letter of Acceptance) and within 14 days period, he has to deposit difference amount in the form of B.G./FDR/NSC. The vailidity of these shall be for a period of three months beyondthe stipulated date for completion/actual date of completion and shall have to be extended time to time up to actual completion of work as per requirement. In case of non deposition of the same in specified period, the Bid security will be forfeited. In case work is not completed satisfactority, the "Work performance Guarantee" will be forfeited and other action will be taken as per Contract Agreement".

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाता है। यह आदेश उन सभी निविदाओं पर प्रभावी होगा जो कि भविष्य में जारी होगी तथा वो निविदाएं जो इस आदेश के जारी होने की दिनांक तक अप्राप्त है। इस सम्बन्ध में निविदा दस्तावेजों में आवश्यक संशाधन तुरन्त अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा किया जावेगा व नवीन सभी निविदाओं में भी उक्त शर्तों का समावेश किया जाना सुनिश्चित किया जावें।

(अवधेश मीना) आयुक्त नगर निगम जयपुर हैरिटेज